

प्रेषक,

शंकर दयाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, 01 दिनांक-

विषय- उपशीर्ष-0119 "नियोजन सेवा हेतु ई0 प्रोसेस" अन्तर्गत मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय (52 01) मद में उपबंधित राशि कुल ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र के चालू स्कीम का वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वित्त विभाग के बिहार विनियोग अधिनियम 2026 पत्रांक-संख्या-ब-15/बी०एस०जी०-271/2026-926/वि० दिनांक-31.07.2026 द्वारा प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत उपशीर्ष-0119 "नियोजन सेवा हेतु ई0 प्रोसेस" अन्तर्गत सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय/सभी जिला नियोजनालय/मुख्यालय/विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय, पटना एवं विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों सहित के कार्यालयों में कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र के चालू स्कीम का वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

2. ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र उपबंधित राशि का क्षेत्रीय/मुख्यालय के कार्यालयों में आवश्यकता आधारित मांग होने के फलस्वरूप कम्प्यूटर उपकरण सभी सेट के साथ, फोटो स्टेट मशीन, पदाधिकारियों को विभागीय लैपटॉप एवं अन्य आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्रय नियमानुसार किया जायेगा।

3. इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-02, रोजगार सेवाएं, लघु शीर्ष-101, रोजगार सेवाएं, समुह शीर्ष-राज्य स्कीम, उप शीर्ष-0119-नियोजन सेवा हेतु ई0 प्रोसेस विपत्र कोड-53-2230021010119 मांग संख्या-53 के कंडिका-2 हेतु विषय शीर्ष-0119.52.01 मशीनें एवं उपस्कर मद में उपबंधित राशि कुल ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र विकलनीय होगा।

4. यह चालू स्कीम है, जिसकी स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यादेश संख्या-659 दिनांक-13.07.2026 के द्वारा दी गयी है।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन), विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित/जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी एवं निदेशालय नियोजन (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त स्कीम अन्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S) के तहत निर्गत एवं व्यय किया जायेगा।

7. इस स्कीम हेतु आवश्यक उद्घ्यय एवं बजट उपबंध है।
 8. उक्त में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की सहमति पृ०...19.../टि० पर प्राप्त है।
 9. उक्त में सचिव की सहमति संचिका संख्या-02/यो०-5006/2026 के पृ०-19.../टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शंकर दयाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, 01 दिनांक-

ज्ञापांक-02/यो०-5006/2026-

प्रतिलिपि-सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन, (मुख्यालय)/विकलागों के लिए विशेष नियोजनालय, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/लेखा शाखा/क्रय शाखा (मुख्यालय) पटना को (दो प्रतियों) सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-02/यो०-5006/2026-

894

पटना, 01 दिनांक-

22-09-26

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, के सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

S. K. Singh
22/9/26

सरकार के संयुक्त सचिव।